न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 21 / 2019

1. श्री सुरेन्द्रकुमार उर्फ सुरेशसिह जी जाति राजपूत आयु व्यस्क वर्ष निवासी धीनवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ (राज0)
2. चांदकुंवर उर्फ चन्द्रकुवर पत्नि गजेन्द्रसिंह जी जाति राजपूत आयु व्यस्क निवासी धीनवा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ

—प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0

—विपक्षी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— 1— नरेन्द्रकुमार वैष्णव — अधिवक्ता वादी

::निर्णय::

दिनाक 31-5-2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा0 लै0रे0एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पत्रावली संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै0रे0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा धिनवा प0ह0 जावदा तह0 निम्बाहेडा के खाता स. 264 आराजी खाता संख्या 569 रकबा 1.0100 हैक्टेयर, आराजी न0 570 रकबा 1 6300 हेक्टयर कुल किता 2 रकबा 2.6400 है भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त चली आ रही हैं तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही हैं । प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त उक्त भूमि में प्रार्थीगण के राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों की गलती से प्रार्थीगण का नाम गलत रूप से राजस्व अभिलेख में प्रार्थी न0 1 सुरेन्द्रसिंह के बजाए सुरेशसिह एवं प्रार्थी न0 2 चांदकुवंर के बजाय चन्द्रकुवंर राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से हो गया हैं इसीलिये उक्त इन्द्राज को न्यायहित मे दुरूस्त कर राजस्व अभिलेख मे प्रार्थीगण का नाम प्रार्थी न0 1 सुरेन्द्रसिंह के बजाए सुरेशसिंह एंव प्रार्थी न0 2 चांदकुवंर के बजाय चन्द्रकुवंर राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से हो गया है इसीलिये उक्त इन्द्राज को दुरस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है । इस हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से पेश किया जा रहा है ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी श्री सुरेन्द्रकुमार उर्फ सुरेशसिह पिता गजेन्द्रसिंह ग्राम राजस्व रिकार्ड मोजा धीनवा जमाबंदी से 2077.80 में खाता संख्या 270 मे आ न 569, 570 किता 2 रकबा 2.64 हे0 श्री सुरेशसिह पिता गजेन्द्रसिंह मु चन्द्रकुवर पिता स्व गजेन्द्रसिंह राजपूत सा देह के नाम दर्ज रिकार्ड है । लगभग 27 वर्ष पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौ.)

पिताजी की मृत्यु होने पर विरासत से खाता नाम सुरेशसिंह पिता गजेन्द्रसिंह नावासय माता चन्द्रकुवंर मु चन्द्रकुवर पत्नि स्व. गजेन्द्रसिंह राजपूत के नाम दर्ज हुआ तबसे अब तक यही नाम राजस्व रेकार्ड मे चला आ रहा है। खातेदार का नाम सही दर्ज कर सुरेन्द्रसिंह पिता गजेन्द्रसिंह, मु. चांदकुवर पत्नि स्व गजेन्द्रसिंह राजपूत सा. देह का नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

हमने बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित आधार कार्ड व पहचान पत्र, ग्राम पंचयात के लेटरपेट प्रस्तुत किए है किन्तु प्रार्थी द्वारा श्री गजेन्द्रसिंह के विरासत के इंतकाल को आपत्ति किया जाना अपेक्षित है उक्त प्रार्थना पत्र संशोधन की श्रेणी मे नहीं आता है। प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे उक्त इंतकाल के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर वांछित दाद प्रस्तुत कर सकता है प्रकरण धारा 136 के तहत राजस्व रेकार्ड मे संशोधन का नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य हैं । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31 .05.2022 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईजड किया गया।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
निम्बाहेड़ा